मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 9327 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012 भोपाल दि.03/10/12

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला पंचायत समस्त (म.प्र.)

विषयः— मनरेगा अंतर्गत नवीन उपयोजना आंतरिक पथ के संबंध में।

संदर्भः— विभाग का परिपत्र क्र. 9777/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/11 दिनांक 10.10.2011

——00——

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य कार्यक्रमों/मदों की राशि के अभिसरण से आंतरिक पथ (सीमेन्ट कांक्रीट रोड) उपयोजना के क्रियान्वयन के निर्देश विभाग के संदर्भित पत्र से जारी किये गये हैं। सभी जिलों में मनरेगा एवं पंच—परमेश्वर योजना के अभिसरण से वृहद स्तर पर सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य संपादित किया जा रहा है। विभाग के निर्देशों के साथ जारी परिपत्र में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सड़क की चौडाई निम्नानुसार रखने के निर्देश हैं :—

1. 3 मीटर से अधिक चौडाई में सामान्यतः यह कार्य नहीं किया जावेगा।
2. 3 मीटर चौडाई से कम परन्तु 1.2 मीटर या उससे अधिक चौडाई की गलियो में भी सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क का निर्माण इस उपयोजना में अनुमत होगा।
3. 3 मीटर चौडाई की सड़क के दोनों ओर सामान्यतः पक्की नाली का निर्माण किया जावे। परन्तु 3 मी. से 2 मी. की चौडाई की गलियो में केवल एक तरफ उचित ढाल देकर नाली निर्मित की जा सकती है एवं 2 मी. से कम चौडाई की गली में पक्की नाली बनाने के बजाय एक ओर ढाल देकर उचित जल निकास किया जा सकता है।

9 सितम्बर 2012 को कमिश्नर्स—कलेक्टर कांफ्रेस में कुछ जिला कलेक्टरों द्वारा विभाग के ध्यान में लाया गया कि जिन ग्रामों में आंतरिक मार्ग की चौड़ाई अधिक होती है, उनमें 3 मी. चौड़ाई की सड़क के दोनों ओर नाली बनाये जाने के बाद भी कुछ जगह खाली रह जाती है, जिस पर अतिक्रमण की स्थिति निर्मित होने से उपलब्ध चौड़ाई में सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य किये जाने का सुझाव दिया गया है।

जिला कलेक्टरों के उक्त सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए आंतरिक सीमेन्ट कांक्रीट सड़क का संलग्न नक्शा अनुसार पक्के सोल्डर बनाये जावें।

उक्त निर्देशों का पालन करते हुये गुणवत्तायुक्त आंतरिक सीमेन्ट कांक्रीट सड़कों का निर्माण संपादित कराया जावे।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि :– 9328/NR-3 भो. 3/10/12

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल।
6. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सडक एवं आवास विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
10. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
11. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

---

15. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
16. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
17. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

3/10/12

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

TYPCAL CROSS SECTION OF CEMENT CONCRETE ROAD
(Width more than 3.0 m in hard soil area)

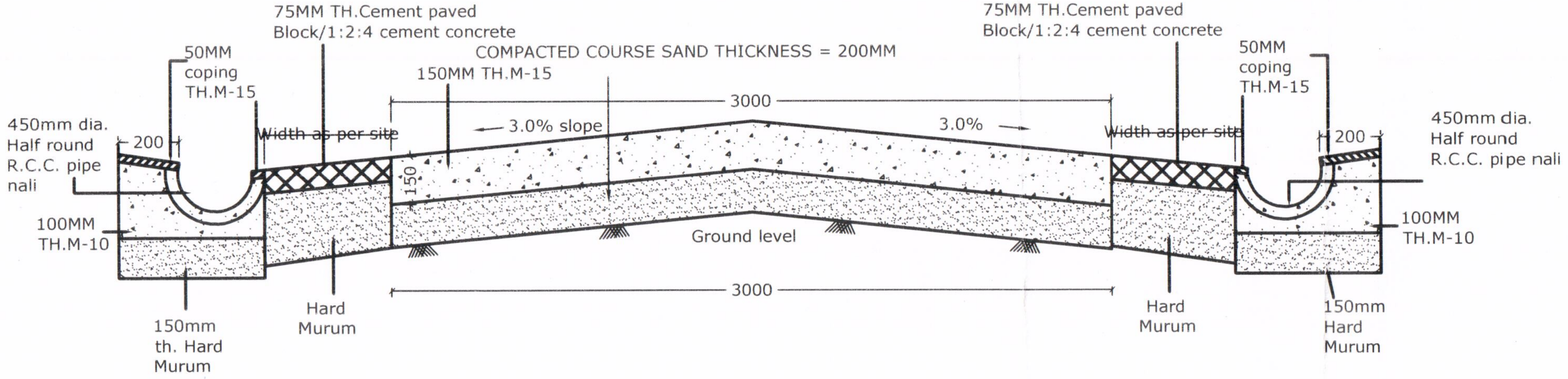

Note: All dimensions in mm.

TYPCAL CROSS SECTION OF CEMENT CONCRETE ROAD
(Width more than 3.0 m in B.C. soil area)

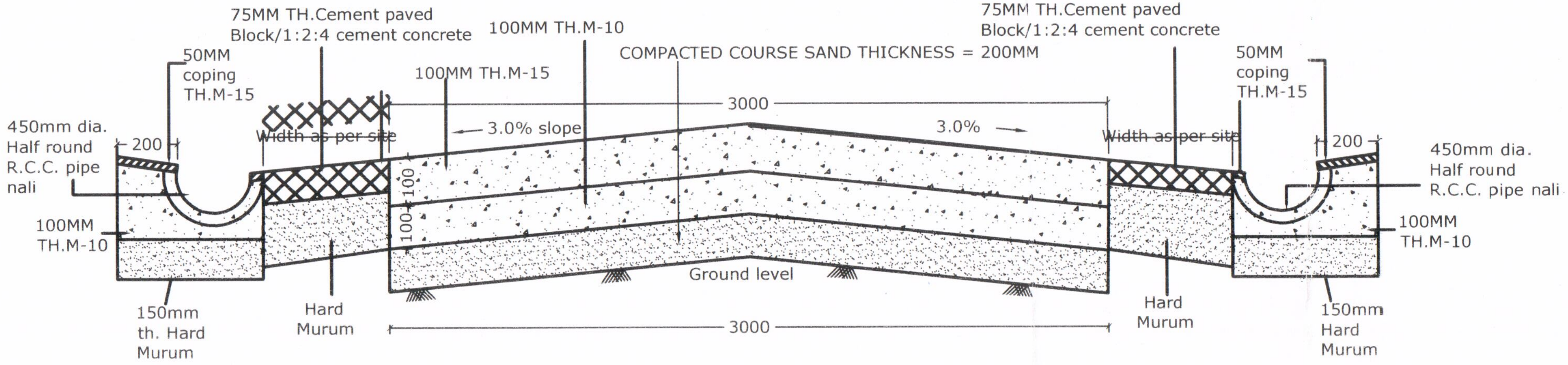

Note: All dimensions in mm.